

“आदेश”

उप जिलाधिकारी, श्रीनगर के पत्र संख्या: 187/जे0ए0 (2018-19) दिनांक 16.07.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उप जिलाधिकारी, श्रीनगर द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 400 के0वी0 द्विपथ प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाईन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या: 266 के स्थान पर दो नये टावरों के निर्माण हेतु 3.893 है0 अतिरिक्त भूमि वन भूमि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने की स्थिति में ग्राम दुर्गाकोट, पट्टी कटुलस्यू, तहसील श्रीनगर सरहर अन्दर नॉन जेड0 ए0 खतौनी खाता संख्या: 6 में दर्ज खेत नं0 137 रक्बा 1.337 है0 व खेत संख्या: 250 रक्बा 2.427 है0 कुल 4.764 है0 जो खतौनी श्रेणी 10 (4) भीटा दर्ज है। ग्राम देवसाल नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या: 5 में दर्ज श्रेणी 10 (4) भीटा, खेत संख्या: 1 रक्बा 1.132 है0, खेत संख्या: 367 रक्बा 1.046 है0 कुल 2.178 है0 ग्राम सिंगोरी, पट्टी कटुलस्यू, नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या: 57 में दर्ज श्रेणी 10 (4) भीटा खेत संख्या: 1578 रक्बा 0.179 है0 म0 0.142 है0 व खेत संख्या: 1579 रक्बा 0.702 है0 कुल 0.844 है0 भूमि तीनों ग्रामों में कुल 7.786 है0 सिविल भूमि (भीटा) वन विभाग, पौड़ी को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

2- उक्त कम में प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के पत्र संख्या: 362/12-1 दिनांक 05.08.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक स्थल हेतु ग्राम दुर्गाकोट, पट्टी कटुलस्यू, तहसील श्रीनगर सरहद के अन्दर नॉन जेड0ए0 खाता खतौनी संख्या: 06 में दर्ज खेत संख्या: 137 रक्बा 2.337 है0, खेत संख्या: 250 रक्बा 2.427 है0 कुल 4.767 है0, ग्राम देवसाल नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या: 05 में दर्ज श्रेणी 10(4) भीटा खेत संख्या: 01 रक्बा 1.132 है0, खेत संख्या: 367 रक्बा 1.046 है0 कुल 2.178 है0 एवं ग्राम सिंगोरी, पट्टी कटुलस्यू, नॉन जेड0ए0 खाता खतौनी संख्या: 57 में दर्ज श्रेणी 10(4) भीटा खेत संख्या: 1578 रक्बा 0.179 है0 मध्ये 0.142 है0 व खेत संख्या: 1579 रक्बा 0.702 है0 कुल 0.844 है0 भूमि तीनों ग्रामों में कुल 7.786 है0 भूमि सिविल भूमि (भीटा) वन विभाग, पौड़ी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है, जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

3- शासनादेश संख्या: 2173/XVII(2)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 20.000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरण किये जाने का प्राधिकार जिलाधिकारी, को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः 400 के0वी0 द्विपथ प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाईन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या: 266 के स्थान पर दो नये टावरों के निर्माण हेतु 3.893 है0 अतिरिक्त भूमि वन भूमि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु ग्राम दुर्गाकोट, पट्टी कटुलस्यू, तहसील श्रीनगर सरहर अन्दर नॉन जेड0 ए0 खतौनी खाता संख्या: 6 में दर्ज खेत नं0 137 रक्बा 1.337 है0 व खेत संख्या: 250 रक्बा 2.427 है0 कुल 4.764 है0 जो खतौनी श्रेणी 10 (4) भीटा दर्ज है, ग्राम देवसाल नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या: 5 में दर्ज श्रेणी 10 (4) भीटा, खेत संख्या: 1 रक्बा 1.132 है0, खेत संख्या: 367 रक्बा 1.046 है0 कुल 2.178 है0 ग्राम सिंगोरी, पट्टी कटुलस्यू, नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या: 57 में दर्ज श्रेणी 10 (4) भीटा खेत संख्या: 1578 रक्बा 0.179 है0 म0 0.142 है0 व खेत संख्या: 1579 रक्बा 0.702 है0 कुल 0.844

80 भूमि तीनों ग्रामों में कुल 7.786 है0 सिविल भूमि (भीटा) वन विभाग, के नाम इस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, श्रीनगर तदनसार अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(धीराज सिंह गब्याल),
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

// // कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल //
संख्या: 2103/8-ए0एल0सी0 (2018-19) दिनांक पौड़ी अगस्त 21, 2019

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. नोडल अधिकारी/प्रगामीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, पो0ओ0 213, जौली रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, श्रीनगर।
7. कार्यालय प्रति।

धीराज सिंह गब्याल,
जिलाधिकारी, गढ़वाल।